

No. 4-10(56-j)/2024-HR-II

Dated 26.08.2025

From

संयुक्त सचिव (प्रशासन)
Joint Secretary (Admn.)

To

सेवा में,

सीएसआईआर की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों/मुख्यालयों के निदेशक/प्रमुख

विषय:- एफ. आर. 56 (जे) के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों की समीक्षा करने के संबंध में ।

महोदया/महोदय,

सीएसआईआर के पत्र सं. 5-1(727)2020-PD Dtd. 11.07.2024 द्वारा कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग (DoPT) के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 27.06.2024 जो कि एफ. आर. 56 (j) के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों की समीक्षा (Review) करने के संबंध में है, समस्त प्रयोगशाला/संस्थान को अनुपालन हेतु भेजा गया था।

उक्त के संबंध में, सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रयोगशालाओं/संस्थानों से मुख्यालय को प्राप्त मासिक रिपोर्टों का अवलोकन करने पर यह पाया गया है कि कई प्रयोगशालाओं/संस्थानों द्वारा एफ.आर. 56(j) के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों की समीक्षा (Review) नहीं की जा रही है।

इस पर सक्षम प्राधिकारी ने संज्ञान लेते हुए निर्देश दिया है कि सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों के वरिष्ठ प्रशासन नियंत्रक/प्रशासन नियंत्रक/प्रशासनिक अधिकारी यह सुनिश्चित करें कि उनके संस्थान में एफ.आर. 56(j) के अंतर्गत आने वाले कर्मचारियों की समीक्षा (Review) का कार्य प्राथमिकता से पूर्ण किया जाए।

भवदीय,


26/8/2025
(आलोक शर्मा)
उप सचिव

प्रतिलिपि:-

1. सीएसआईआर की सभी राष्ट्रीय प्रयोगशालाओं/संस्थानों के वरिष्ठ प्रशासन नियंत्रक/प्रशासन नियंत्रक/प्रशासनिक अधिकारी
2. वरिष्ठ उप सचिव (पी.डी.), सीएसआईआर मुख्यालय
3. हेड आई.टी.-सीएसआईआर वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।